



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 03 गाड़ी जिनमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए 25 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 03 गाड़ी जिनमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए 25 पशु बरामद हुए हैं।

उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 141/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आसिफ पुत्र मोमीन निवासी मोहल्ला देशराज कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-कल्लू पुत्र खलील इनाम निवासी मोहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-अरबाज पुत्र इनाम निवासी मोहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-नौशाद उर्फ मोनू पुत्र शौकत निवासी माता कालोनी कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरता पूर्वक भरे हुए 25 पशु
- 01 गाडी आयशर केंटर नं0 UP-17BT-0193
- 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप UP-17BT-9144
- 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप UP-17BT-0237

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री शारिक अली खान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-है0का0 31 संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-है0का0 739 नवीन कुमार, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-है0का0 873 हरीश कुमार, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7-का0 165 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत



थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- सोहवीर पुत्र हीरा सिंह निवासी बडौत रोड कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2.बोबी पुत्र सूरज कश्यप निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3.कल्लू उर्फ उम्मेदपाल पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम --

- 1- उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4- है0का0 151 सन्दीप दहिया थाना कोतवाली बागपत ।

- 5- है0का0 650 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 6- है0का0 821 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 7- का0 250 कोमल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 8- का0 62 अरीब पठान थाना कोतवाली बागपत ।




प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 07.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/26 धारा 299 बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05.03.2026 को थाना बडौत पर वादी साबिर चौधरी पुत्र मईनुदीन निवासी गुराना रोड, कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त विशु पुत्र तेजपाल निवासी पट्टी मोहलू, बावली कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी VISHU JAAT BAWALIYA 6 से दिनांक 05.03.2026 को मुस्लिम समुदाय के संबंध में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 148/26 धारा 299 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/26 धारा 299 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के संबंध में सोशल मीडिया या सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक/अशोभनीय टिप्पणी न करे तथा किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट या वीडियो साझा न करे। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विशू पुत्र तेजपाल निवासी पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 जगवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 गौरीशंकर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 अमरजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution **BAGHPAT POLICE**



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोनू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त मोनू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मवीकलां, थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वादी की बहन का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 71/22 धारा 366/376/506 भादवि व 3(2)(v)/3(1)(घ) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मोनू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



इन्स्पेक्टर
एडीजीसी



है0का0 देवीदास
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police